न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 155/2017

शरद चाण्डक पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार चाण्डक जाति मेहश्वरी निवासी हनुमागढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार आम देवेन्द्र चाण्डक पुत्र मदनलाल चाण्डक पुत्र मदनलाल चाण्डक जाति महेश्वरी निवासी हनुमानगढ।

–वादी–

बनाम

1 . गंगारानी पत्नी रामनिवास जाति चमार साकिन मकान संख्या 99 सेक्टर नम्बर 07 अरबन स्टेट कुरूक्षेत्र तहसील धनिसर जिला कुरूक्षेत्र प्रान्त हरियाणा जरिये मुखत्यार आम सुल्तान सिंह पुत्र मुखाराम जाति चमार साकिन मकान संख्या 99 सेक्टर नम्बर 07 अरबन स्टेट कुरूक्षेत्र तहसील धनिसर जिला कुरूक्षेत्र प्रान्त हरियाणा

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1 श्री कुलदीप गौड़ एड. वादी की ओर से
2 श्री नेतराम सियाग प्रतिवादीया की ओर से
3 पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 131,136 एलआर एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :– 23/07/2021

आज यह पत्रावली वादी एवं प्रतिवादीगण के विधिक प्रतिनिधि मुखत्यारआम के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 131,136 एलआर एक्ट के तहत जरिये मुखत्यार आम देवेन्द्र मेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम महाजन के खसरा नम्बर 1261/15 की कुल 50 बीघा बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 25 बीघा पासा दक्षिण को वादी ने जरिये रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 07.02.2007 के तत्तकालीन खाताधरीगण यासीन ईस्माईल मुखत्यार खातून पुत्र पुत्रिया न्यात जाति मुसलमान निवासी महाजन से खरीद की थी जिसके बैनामा की प्रति संलग्न है बैना के पैरा संख्या 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस रकबा में से 7 बीघा नेशनल हाई वे पर है शेष इस[illegible] तरफ है बेनामा के पज संख्या 4 में उक्त आसापासा अंकित है [illegible] एवं खेत पुखराज , पूर्व में एनएच संख्या [illegible] है।

बैनामा के वक्त उपरोक्त कागजात के अनुसार वादी को मौका पर कब्जा दिया गया था। इसी अनुसार वादी निरन्तर आज तक शांतिपूर्वक उपरोक्त आसापासा के अनुसार अपनी 25 बीघा भूमि पर काबिज एवं मालिक हैं। बैनामा के बाद वादी के नाम नियमानुसार ईन्तकाल दर्ज होने के बाद उक्त 25 बीघा खसरा नम्बर 2073/1261 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई।

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम महाजन में भू प्रबन्ध विभाग ने बन्दोबस्त कार्यवाही करने के बाद नये सिरे से बन्दोबस्त मिलान क्षेत्रफल नक्शा व रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया गया । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल मिसल बन्दोबस्त नक्शा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त करने पर पता चला कि भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सूचना के अपनी मनमर्जी से रिकार्ड कर वादी की पैरा संख्या में वर्णित ग्राम महाजन के खसरा नम्बर 2073/1261 की तादादी 25 बीघा को नये खसरा नम्बर 2138/24 में 6.33 हैक्टेयर बनाकर पैमूद किया जो अनुचित व बिल्कुल गलत है जबकि वादी का पुराना खसरा नम्बर 2073/1261/15 की तादादी 25 बीघा पर वादी का कब्जाकाश्त की उसके अनुसार सेटलमेन्ट द्वारा बनाये गये खसरा नम्बर 26 की 7.99 हैक्टेयर में 6.33 हैक्टेयर पासा दक्षिण पर वादी का कब्जा एवं दखल हैं। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के नये खसरा नम्बर 2138/24 में गलत तरमीम की है जो गलत है 2138/24 पर वादी का कभी कब्जा कास्त नहीं रहा हैं।

वादी की पटवारी हल्का से जानकारी से वादी को वाद कारण हासिल हुआ। वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री नेतराम सियाग एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व जवाब हेतु समय चाहा । प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को रिकार्ड की हद तक स्वीकार किया।

प्रतिवादियां संख्या 1 की ओर से मुखत्यार आम श्री सुल्तान सिंह ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर राजी नामा के आधार वाद वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने में सहमति प्रदान की। इकबाल जवाब दावा व राजीनामा पेश हो जाने पर तनकीयात कायमी नहीं की गई। राजीनामा पर वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी के मुखत्यारआम द्वारा पेश करने बाबत पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किये । पैरोकार राज ने राजीनामा से वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपति नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज बैनामा की छायाप्रति में वर्णित रकबा रोही मौजा महाजन के खसरा नम्बर 1261/15 की 50 बीघा भूमि में से पासा दक्षिण 25 बीघा वादी की खरीदशुदा है तथा उक्त बेनामा में दर्शाए गए आसापासा अनुसार उक्त भूमि नहर के पूर्व व नेशनल हाईवे के पश्चिम में दर्शाई गई है । इसी अनुसार नक्शें में अंकित है । वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 2073/1261 तादादी 25 बीघा का अंकन हैं। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर 2073/1261 के नये खसरा नम्बर 2138/24 की तादादी 6.32 हैक्टेयर बनाए गए हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शा में नये खसरा नम्बर 2138/24 को नहर के पश्चिम दिशा में दर्शाया गया हैं तथा खसरा नम्बर 26 को नहर के पूर्व व नेशनल हाईवे के पश्चिम में दर्शाया गया हैं। हमने भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शा का भलीभांति अवलोकन किया । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शा में जो खसरा नम्बर डाले गए हैं वे वास्तिविक कब्जा काश्त एवं पूराने से नये नम्बरो के हिसाब से गलत डाले गए हैं। पुराना खसरा नम्बर 2073/1261/15 की 25 बीघा जो वादी की भूमि हैं। उसके खसरा नम्बर 24 अंकित होने चाहिए थे एवं नहर के पूर्व व एनएच के पश्चिम में अंकित होने थे तथा खसरा नम्बर 26 जिसे वर्तमान नक्शा में नहर के पूर्व एवं एनएच के पश्चिम में दर्ज किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:53:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादियां की भूमियों को उनकी खरीदशुदा बैनामा में दर्ज व पुराने नक्शा में दर्ज के विपरीत दर्ज किया हैं। अर्थात् वर्तमान नक्शा में जहां खसरा नम्बर 2138/24 दर्ज है वहां 26 होना चाहिए व जहां 26 है वहां 2138/24 होना चाहिये। इस प्रकार वादी द्वारा रिकॉर्ड में नया खसरा नम्बर 26 की दुरूस्ती का चाहा गया अनुतोष देय नहीं हैं। सिर्फ नक्शा में ही गलत सीरियल नम्बर डाले जाने से वादी एवं प्रतिवादी की मौका पर स्थिति भिन्न हो गयी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर नक्शा में खसरा नम्बर दुरूस्ती किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की हैं। राजीनामा जरिये मुखत्यारआम प्रस्तुत किया है जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है जिस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर हैं एवं वादी की ओर से मुखत्यारआम ने हस्ताक्षर किये हैं। अतः प्रस्तुत राजीनामा रिकॉर्ड व पुराने नक्शे के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पुहंचे है कि रोही मौजा महाजन के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शा में खसरा नम्बर 2138/24 के स्थान पर 26 एवं 26 के स्थान पर 2138/24 दुरूस्त किया जाना उचित हैं। अतः इन नम्बरान पर की गई भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तरमीम को निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रोही मौजा महाजन के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये राजस्व मैप (नक्शा) में खसरा नम्बर 2138/24 जो नहर के पश्चिम में दर्शाया हुवा है के स्थान पर खसरा नम्बर 26 की 7.99 हैक्टेयर व नहर के पूर्व में और नेशनल हाईवे के पश्चिम में खसरा नम्बर 2138/24 की 6.32 हैक्टेयर की सीमा तक पासा दक्षिणी दुरूस्त करे। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

(भागीरथ शेखा)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested